

समाज कल्याण विभाग
 भूक एवं बघिर विद्यालय परिसर,
 दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02


तांशकित प्रश्न संख्या- 74

दिनांक: - 22.03.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री अजेश यादव

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा में कुछ लोगों की पेंशन बिना जांच किए बंद कर दी गई है?	जी नहीं।
(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी की गई पेंशन का विवरण क्या है?	समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष 2017-18 में बादली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी की गई पेंशन का विवरण निम्न प्रकार है- वृद्धावस्था पेंशन- 6118 विकलांग पेंशन- 1555
(ग) क्या यह सत्य है कि दो पड़ोसियों से सत्यापित करने की परिपाटी अब बंद कर दी गई है जिसके कारण बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई?	जी नहीं। पर इस वजह से किसी भी लाभार्थी को पेंशन से वंचित रहने की संभावना न्यूनतम होती है। आवास प्रमाणपत्र के संदर्भ में वृद्धावस्था नियमावली में कुल 19 दस्तावेजों एवं विकलांग पेंशन में कुल 22 दस्तावेजों का प्रावधान है। इन विकल्पों के उपलब्ध न होने के उपरांत ही दो पड़ोसियों के सत्यापित करने की परिपाटी को अंतिम विकल्प के रूप में ही लिया जाता है।
(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?	
(ङ) क्या यह भी सत्य है कि आधार लिंक से बैंक खाते जुड़े होने के बावजूद बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है और	जी नहीं।
(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?	उपरोक्त ङ के अनुसार लागू नहीं होता।


 Director (Social Welfare)
 Social Welfare Department
 Govt. of NCT of Delhi
 G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
 New Delhi-110002